मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

प्रस्तावनाः

किलैकि मनिखों का परिवार का सभी जणों को मान सम्मान ऊंका अधिकारों को स्वीकृतिकरण ही, दुनिया की शान्ति, उचित फैसला व स्वतंत्रता की बुनियाद च।

किलैकि मनिखों का अधिकार का प्रति उपेक्षा और घृणा का कारण ही संसार मां निर्दयी कार्य हवैन, और मनिखों की आत्मा पर अत्याचार हुवैन। ये कारण संसार मा इन व्यवस्था लाई जै (जै मा मनिखों कौं अपणो विचार भाषण व धर्म की आजादी बिना डैर का मिल साक) यही सभी मनिखों की इच्छा भी हो।

किलैकि, अन्यायी शासन और जुल्मों को कारण केवल विद्रोह कौरी की चुप हैव्जाण ही उपाय नी च, बल्कि कानून बणै खै मनिखों का अधिकारो की रक्षा करण जरूरी च।

दुनिया का सभी देशों का आपस मॉ दोस्ती सम्बन्ध बढ़ाना जरूरी च।

किलैकी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देशों की जनता न बुनियादी मानव अधिकारी मा, मानव व्यक्तित्व, मान–सम्मान और योग्यता मा औरत मर्द को बराबर अधिकार का बारमा अधिकार–पत्र मा लिख्यूँचा। यीं सोच का साथ कि व्यापक स्वतंत्रता का द्वारा सामाजिक जीवन और बेहतर बणये जायों।

सदस्या देशो न यह भी प्रतिज्ञा कैरी कि, संयुक्त राष्ट्र का सहयोग से मनिखों का अधिकार, व आजादी का वास्ता सार्वभौम सम्मान की बड़ोत्री कारला।

किलौकी यीं प्रतीज्ञा थै पूरी तरह निभाणू कू अधिकार और स्वतंत्रता को स्वरूप ढीक–ढीक समझणो जरूरी च।

ये कारण सामान्य सभा न यह घोषित कैरी कि :–

मनिखों का अधिकारो की सार्वभौम घोषणा, मा संसार का सभी देशों की व लोगों की बराबर सफलता–च।

यीं घोषणा को यह उद्देश्य च कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग यीं घोषणा थैं ध्यान मॉ रखी की, पढ़ाई–लिखाई का द्वारा सभी मॉ सम्मान की भावना

जाग्रत हवै साक, और देश व दुनिया द्वारा इन उपाय करे जा, जै से संसार की जनता यूँ घोषणाओं का पालन कैर साक, और अपणी स्वीकृति दे साक।

अनुच्छेद 1– सभी मनिखों थैं, मान सम्मान और अधिकारो का मामला मा जन्म से स्वतंत्रता व समानता प्राप्त च, सभी मॉ अकल और अपणा दिल की आवाज समझणे को गुण व ये कारण सभी दगड़ी आपस मॉ भाईचारा का भाव से व्यवहार कन चैंद।

अनुच्छेद 2– सभी मनिखों थैं यीं घोषणा मा अधिकार और आबादी पाणों को हक च। चाहै व कैं भी धर्म, जाति, रंग विचारधारा व (मर्द, औरत) लिंग, का हो, ये कारण क्वी भी भेद भाव नि करे जालो।

ये का आलावा, देश, प्रदेश, स्वतंत्र पर तंत्र, सामाजिक, राजनैतिक, भगौलिक आधार पर भी क्वी भेदभाव नि करे जालौ।

अनुच्छेद 3–हर एक मनिख थै जीवन, स्वतंत्रता और अपणों बचाव को पूरो अधिकार च।

अनुच्छेद 4– क्वी भी मनिख, गुलाम बणै की नि रखे जालौ। गुलाम–प्रथा, और मनिखो की खरीद–बिक्री हर तरह से खत्म च।

अनुच्छेद 5– कै भी मनिख थैं, शारीरिक कष्ठ नि दिये जालौ। और न कै का प्रति निर्दय, अमानविय (पशु सामान) अपमानजन बरताव करे जालौ।

अनुच्छेद 6– हर एक मनिख थैं कानून का दृष्टि मॉ व्यक्ति हूण की स्वीकृति प्राप्त च।

अनुच्छेद 7– कानून का दृष्टि सा सब बराबर छन, और सब थै कानूनी सुरक्षा प्राप्त च, और यदि यीं घोषणा का विपरित क्वी भेदभाव कारलो त वैका विरूद्ध सुरक्षा को अधिकार सभी थैं प्राप्त च।

अनुच्छेद 8– सभी थैं सविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्राप्त छन और यूंका विपरित राष्ट्रीय अदालतों मा पूरी सहयता पाणों को भी हक च।

अनुच्छेद 9– कैं भी मनिख थैं, मन मर्जी से कैद, नजरबन्द व देश से बाहर नि करें जालौ।

अनुच्छेद 10–सभी थैं, यह बराबर को हक–च कि उॅ का अधिकार व कर्तव्यों का बारभा फैसला। फौजदारी का ममला मॉ,उॅ की सुनवाई सार्वजनिलक रूप मॉ निष्पक्ष न्यायालय द्वारा हो।

अनुच्छेद 11–(1) हर एक थैं, जै पर कोई अपराध को आरोप हो तब तक अपराधी न माने जालो, जब तक खुली अदालत में वै पर अपणी सफाई दीणा का बाद अपराध सिद्ध न हवै जा।

(2) क्वी भी व्यक्ति इन काम का कारण अपराधी नि माने जालो जो काम, राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय कानून का द्वारा अपराध न हो और न वै थें ऐ का कारण सजा हवै सकद।

अनुच्छेद 12–कैं भी मनिख का आराम (एकान्तता), परिवार घर व पत्र–व्यवहार मॉ कोई दखल नि दे सकलो। ये का वास्ता व्यक्ति थैं कानूनी सुरक्षा को अधिकार च।

अनुच्छेद 13–(1) हर एक व्यक्ति थै देश की सीमाओं का भितर आणू–जाणू व आजादी से बसणो को अधिकार च।

(2) हर एक व्यक्ति थै, अपणो देश या परदेश जाणो, व छोडनो को पूरो अधिकार च।

अनुच्छेद 14—(1) प्रत्येक व्यक्ति थैं, परेशान करे जाण पर दुसरा देश, परदेश मॉ शरण लेणो को व रहने को अधिकार च।

(2) पर ये अधिकारों का लाभ उॅ थै न मिल साकूलो जो गैर राजनीतिक अपराध से सम्बन्धित होला, या संयुक्त राष्ट्र का सिद्धान्तों का विरूद्ध होला।

अनुच्छेद 15—(1) हर एक व्यक्ति थै दुनिया मॉ कै भी देश की नागरिकता पाणो को अधिकार च।

(2) कै भी व्यक्ति की मनमाने ढंग से देश की नागरिकता स खत्म नि हवै सकद या नागरिकता बदलना मैं रौक नि हवै सकद।

अनुच्छेद 16—(1) प्रत्येक बालिग औरत मर्द थैं, बिना भेदभाव को कै भी धर्म जाति, देश, परदेश मां विवाह कारणो व परिवार बणाणो को अधिकार च, और विवाह—विच्छेद को भी समान अधिकार च।

(2) विवाह करणू कू स्त्री पुरूष की पूर्ण स्वतंत्र सहमति जरूरी च।

(3) परिवार समाज की स्वभाविक और बुनियादी इकाई च। ये कारण परिवार थैं समाज व राष्ट्र को सरक्षण को पूरो अधिकार च।

अनुच्छेद 17—(1) प्रत्येक व्यक्ति थै अकेला या दुसरो का दगडया, अपणा सलाह रखणो को भी अधिकार च।

(2) कै भी व्यक्ति थैं मनमाने ढंग से, वै कि विचार धारा (सलाह) से अलग नि करे जालो।

अनुच्छेद 18—हर एक व्यक्ति थैं,अपणो विचार, और धर्म की आजादी को पूरो अधिकार च। ये अधिकार के द्वारा व अपणों धर्म, विश्वास बदलनो या दुसरो का साथ मिलकर, अपना, धर्म विश्वास थैं,शिक्षा, क्रिया, पूजा और व्यवहार का द्वारा बताण की स्वतंत्रता च।

अनुच्छेद 19—प्रत्येक व्यक्ति थैं, अपणो विचार दुसरो थै बताणे की स्वतंत्रता च, ये का वास्ता बिना दखल को अपणो विचार रखना व किसी माध्यम का द्वारा सीमाओ की परवाह करै बगैर सूचना, खोज, प्राप्ती व प्रदान सम्मिलित च।

अनुच्छेद 20—(1) प्रत्येक व्यक्ति थै शान्ति पूर्ण सभा करणो व समिति बणाणों को पूरो अधिकार च।

(2) किन्तु कै थैं भी सभा, समिति को सदस्यों बणनू कू मजबूर नि करे जालो।

अनुच्छेद 21—(1) प्रत्येक व्यक्ति थै अपणा देश का शासन या चुने गये नेताओं को द्वारा शासन मॉ भाग लेणो को अधिकार च।

(2) प्रत्येक व्यक्ति थें, अपना देश की सरकारी नौकरी पाणो का पूरो अधिकार च।

(3) सरकार की सत्ता को आधार जनता की इच्छा हूंद यह इच्छा चुनावों का माध्यम से प्रकट हूंद, ये कारण यह मतदान, गुप्त तरीका से होण चैदिन।

अनुच्छेद 22—समाज का एक सदस्य का तौर से प्रत्येक व्यक्ति थे सामाजिक सुरक्षा को अधिकार प्राप्त च। प्रत्येक व्यक्ति थैं अपणो व्यक्तित्व का विकास को, अनिवार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त छन्।

अनुच्छेद 23—(1) हर एक व्यक्ति थै अपणी मर्जी का अनुसार काम धन्धा करनो व सुविधा जनक हालात मॉ रोजगार पाणो को भी अधिकार च और बेरोजगार का हालात मा संरक्षण पाणो को भी हक च।

(2) हर एक व्यक्ति थैं बराबर काम का वास्ता, बिना भेदभाव को बराबर मजदूरी पाणो को भी अधिकार च।

(3) हर एक व्यक्ति थैं वैका काम का अनुसार उचित मजदूरी पाणो को हक च, जै से वह अपणो और परिवार को इज्जत का साथ पालन पोषण कैरी साको।

(4) हर एक व्यक्ति थैं अपणा भलाई व सुरक्षा का वास्ता, मजदूर संघ बणाणो और वख भाग लेणो को भी अधिकार च।

अनुच्छेद 24–हर एक व्यक्ति थै, आराम और छुट्टी को भी हक च, व निर्धारित काम का घण्टा व मजदूरी सहित छुट्टी को भी हक च।

अनुच्छेद 25–(1) प्रत्येक व्यक्ति थै इतनो तो जीवन स्तर को भी अधिकार च कि व परिवार को भरण–पोषणा, दवा, बिमारी, खाना–कपड़ा को उचित इन्तजाम कैरी साको, और काम धन्धा न हूण पर खराब हालात मा सुरक्षा पाणो को भी अधिकार च।

(2) जच्चा और बच्चा थै खास सहायता पाणो को भी हक च और प्रत्येक बच्चा थैं चाहे वे को जन्म, विवाहिता या अविवाहिता से भी हवै ,हो, समाज की सुरक्षा पाणो को हक च।

अनुच्छेद 26–(1) हर एक व्यक्ति थै लिखणो पढ़नो को हक च जै मा शुरूआती की शिक्षा मुफ्त मा दिये जाली। साथ ही नौकरी पेशे की शिक्षा उच्च शिक्षा भी ऊॅ की सामर्थ और योग्यता का अनुसार प्राप्त होली।

(2) शिक्षा को उद्देश्य होलो, मनिखो का जीवन की उन्नति जै से मानव अधिकार और बुनियादी आजादी स्पष्ट हवै साक, शिक्षा का द्वारा ही देशो की जातियों का व अलग–2 धर्मो का बीच प्यार मुहब्बत, और दोस्ती का भाव पैदा होला।

(3) मॉ–बाप थै यह अधिकार च की व अपणा बच्चो थैं अपणी इच्छा का अनुसार शिक्षा को इन्तजाम कैरी सकी।

अनुच्छेद 27—(1) प्रत्येक व्यक्ति थै आजादी से समाज या, खेल तमाशा, नाच—गाना व विज्ञान और ऊँ की सुविधाओं को भी हक च।

(2) हर एक व्यक्ति थैं अपणा द्वारा बणई, लिखी व पैदा करी चीज को लाभ प्राप्त करनो को हक च।

अनुच्छेद 28—हर एक व्यक्ति थैं यी घोषणा का अनुसार, सामाजिक और विश्व व्यवस्था को लाभ प्राप्त करनो को भी हक च।

अनुच्छेद 29—(1) हर एक व्यक्ति थैं जै समाज मॉ वो पैदा हवै, पालन पोषण हवै का प्रति कर्तव्य भी च।

(2) हर एक व्यक्ति थैं अपना अधिकार और आजादी से जोणो का हक च, और वे पर उखी तक बन्दिश होली जो कानून द्वारा निर्धारित होली, जै से समाज मा सभूं की आजादी और अधिकार को भी सम्मान होवै साक।

(3) यू अधिकार और आजादी का कारण संयुक्त राष्ट्र का सिधान्तो का भी नुकसान व अपमान वि हूण चैंद।

अनुच्छेद 30—यू घोषणाओं मॉ कै भी बात को यह अर्थ नि लगाये जालो की ऐ से इन काम करणो को अधिकार च जै से यू घोषणाओं मॉ लिखी बातों को ही विनाश हवै जा।